सुचना

०१ पी0 एम0 किसान सम्मान के पात्र हितग्राही ही सी0 एम0 किसान कल्याण निधी के लिए पात्र होगे।

०२ पति पत्नी व नाबालिक बच्चो को मिलाकर एक परिवार बनता है जिसमें एक ही वयक्ति को इस योजना का फायदा मिलेगा। यदि किसी परिवार में पति व पत्नी दोनो को सम्मान निधी का का फायदा मिल रहा है तो वो तत्काल हल्का पटवारी का सुचित करे अन्यथा आपके उपर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

०३ यदि कोई १८ साल का पुत्र या पुत्री जिसकी उम्र ०१ दिसम्बर २०१८ को १८ वर्ष हो चुकी थी उसका अलग अलग परिवार माना जायेगा लेकिन वर्तमान अभिलेख में यदि नाबालिकी दर्ज है तो उसे पहले नाबालिक कटवाना पडेंगा।तभी वह पात्र माना जायेगा ।

०४ ०१ फरवरी २०१९ के बाद किसी का रजीस्ट्री नामान्तरण, बटवारा हुआ है, वह इस योजना के लिए पात्र नही होंगे यदि किसी को फायदा मिल रहा है तो वह तत्काल हल्का पटवारी को सुचित करे।

०५ इस योजना का फायदा खातेदार के मृत होने पर ही उनके विधीक वारीसो को इसका फायदा मिलेगा इसके लिए पहले पी0 एम0 किसान सम्मान निधी में राशि की किस्त आना जरूरी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत निम्न भूमिस्वामी अपात्र माने जाएगे ।

०१ यदि किसी भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन (व्यपवर्तीत भूमि) के रूप में किया जाता है तो वह अपात्र है।

०२ संस्थागत भूमिस्वामी अपात्र माने जाएगे ।

०३ भूत पूर्व और वर्तमान संवेधानिक पदो पर पदस्थ ।

०४ भूतपूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री /राज्य मंत्री लोक सभा/ राज्य सभा/राज्य विधान सभा /राज्य विधान परिषद के पूर्व व वर्तमान सदस्य /वर्तमान व भूतपूर्व नगर निगम के महापौर भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष ।

०५ केन्द्रीय /राज्य सरकार के मंत्रालयो /कार्यालयो /विभागो व इसके फील्ड इकाइयो के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी केन्द्रीय या राज्य उपक्रम और संलग्न कार्यालय /स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्कींग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी /समुह डी के कर्मचारी को छोड़कर)

०६ सभी रिटायर्ड पेशनर्स जिनकी मासिक पेशन १००००रू या उससे अधिक है उपरोक्त् श्रेणी २.४.१(सी) के मल्टी टास्कींग स्टाफ /चतुर्थ श्रेणी/ समुह डी के कर्म्रचारी को छोडकर)

०७ अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भूगतान करने वाले सभी व्यक्ति ।

०८ डाक्टर्स इंजीनियर वकील चार्टर अकाउंटेड आर्कीटेक्ट जैसे पेशवर निकायो के साथ पंजीकृत व्यक्ति या अभ्यासरत ।

०९ पति व पत्नी दोनो भुमिस्वामी है तो दोनो में से एक ही पात्र है एक अपात्र ।

१० पति- पत्नी नाबालिक बच्चे भूमिस्वामी है तो एक ही पात्र है अन्य सभी सदस्य अपात्र है ।

११ दिनांक ०१/०२/२०१९ के बाद बने सभी भूमिस्वामी अपात्र है ।

टीप - उपरोक्त नियम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निध व मुख्यमंत्री सम्मान निधी के लिए लागू होते है।

आदेशानुसार
हल्का पटवारी घोघरा प0ह0न0 २८